भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †2336
सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

सीबीएसपी योजना के तहत संस्थानों के उन्नयन की स्थिति

†2336. श्री प्रवीण पटेलः
श्री कंवर सिंह तंवरः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री विनोद लखमशी चावड़ाः
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में 2014-2025 के दौरान सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण और प्रमाणन में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) देशभर में महाराष्ट्र के पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के लाभार्थियों सहित होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम), खाद्य शिल्प संस्थान (एफसीआई), भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) परिसरों और सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किए गए अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के विस्तार और उन्नयन की स्थिति क्या है;

(ग) क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम और पर्यटन मित्र तथा पर्यटन दीदी जैसी जिम्मेदार पर्यटन पहलों ने संपूर्ण देश में, विशेषकर पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विरासत, आध्यात्मिक और पर्यावरण-पर्यटन सर्किटों में प्रशिक्षित स्थानीय पर्यटक गाइड सुविधा प्रदाताओं की उपलब्धता में सुधार किया है;

(घ) छात्रों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता और रोजगार अवसरों में सुधार हेतु अग्रणी आतिथ्य और पर्यटन उद्योग श्रृंखलाओं के साथ सहयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पर्यटन-संचालित रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण के अवसरों को और मजबूत करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य तथा पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों और अन्य पहलुओं को कवर करने वाले पर्यटन सेवा प्रदाताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने हेतु "सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण" (सीबीएसपी) योजना बनाई है, जिससे सेवा प्रदाताओं की रोजगार

क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2024-25 तक के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्य-वार इस योजना के तहत प्रशिक्षित/प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तियों की संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

(ख): वर्ष 2025-26 के लिए "आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी/आईसीआई आदि को सहायता" नामक योजना के लिए 35 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सहित देश में होटल प्रबंधन संस्थानों (आईएचएम), भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), फ़ूड क्राफ्ट संस्थानों (एफसीआई) आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस सहायता का उपयोग मूल रूप से नए संस्थानों की स्थापना, अवसंरचना के उन्नयन जैसे छात्रावासों का निर्माण, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, उपकरण, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि की खरीद के लिए किया जाता है।

(ग): मंत्रालय एक डिजिटल पहल के माध्यम से अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) और अतुल्य भारत पर्यटक गाइड (आईआईटीजी) प्रमाणन कार्यक्रम संचालित करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सुप्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधा प्रदाताओं तथा गाइडों का एक पूल बनाने के लिए ऑनलाइन शिक्षण मंच तैयार करना है। अभी तक की स्थिति के अनुसार, देश के सभी विरासत, आध्यात्मिक और पारिस्थितिकी पर्यटन परिपथों सहित पूरे भारत में 5311 प्रमाणित आईआईटीएफ और 2756 आईआईटीजी कार्यरत हैं।

मंत्रालय ने पर्यटन मित्र/पर्यटन दीदी के नाम से एक राष्ट्रीय उत्तरदायी पर्यटन पहल भी शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाना है। यह कार्यक्रम वर्ष 2024 में शुरू किया गया था और तब से पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों सहित लगभग 4300 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

(घ) और (ङ): पर्यटन मंत्रालय ने कौशल विकास, क्षमता निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने, पर्यटन संचालित रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 70 समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन पर भारत में 10 प्रमुख आतिथ्य एवं पर्यटन उद्योग श्रृंखलाओं और इसके कार्यक्षेत्र में आने वाले 21 केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थानों (सीआईएचएम) के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौता ज्ञापन छात्रों के साथ जुड़ाव, संकाय विकास, अल्पकालिक पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल शिक्षा और संस्थागत तथा अवसंरचना के विकास पर फोकस करते हैं।

*****

अनुबंध

श्री प्रवीण पटेल, श्री कंवर सिंह तंवर, श्री पी. पी. चौधरी, श्री विनोद लखमशी चावड़ा, श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी और श्रीमती स्मिता उदय वाघ द्वारा सीबीएसपी योजना के तहत संस्थानों के उन्नयन की स्थिति के संबंध में दिनांक 15.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या †2336 के भाग (क) के उत्तर में **विवरण**

वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2024-25 तक सीबीएसपी योजना के तहत प्रशिक्षित/प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	931	220	0	0	0	58	0	63	0	0	174	1446
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	780	180	143	236	210	363	0	152	120	0	2184
3.	असम	1209	1222	733	72	334	389	109	185	375	493	1155	6276
4.	बिहार	1126	903	494	25	135	471	343	210	134	123	1179	5143
5.	चंडीगढ़	1906	2034	1431	0	89	0	25	0	468	112	0	6065
6.	छत्तीसगढ़	400	0	0	0	30	115	49	79	67	30	265	1035
7.	दिल्ली	15909	5858	2299	1095	2113	2634	85	210	79	373	1622	32277
8.	गोवा	1912	2269	597	0	33	60	0	0	0	30	0	4901
9.	गुजरात	965	1129	370	25	28	96	25	660	264	0	142	3704
10.	हरियाणा	3215	3118	1319	0	590	725	266	473	900	636	2591	13833
11.	हिमाचल प्रदेश	1859	1843	1300	254	740	532	383	754	488	315	5409	13877
12.	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	2131	3012	811	389	1293	1033	1108	1054	1309	1096	11753	24989
13.	झारखंड	0	0	0	0	0	32	143	224	86	240	1600	2325
14.	कर्नाटक	9672	7626	2413	43	397	976	279	350	203	343	1908	24210
15.	केरल	13535	11864	2622	3909	5566	8809	753	1500	58	153	240	49009
16.	मध्य प्रदेश	6551	6064	6517	2966	4151	6079	1929	5289	4727	6838	9429	60540
17.	महाराष्ट्र	2491	2328	1400	328	1106	722	153	110	647	420	6487	16192
18.	मेघालय	957	797	259	87	310	136	313	212	202	171	207	3651
19.	मणिपुर	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743	1093
20.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	660	0	834	0	47	1541
21.	उड़ीसा	3016	5041	3007	125	2444	952	881	656	441	270	1130	17963
22.	पुद्दुचेरी	150	105	47	0	0	0	0	0	67	60	0	429
23.	पंजाब	2346	5881	2174	441	1753	1690	675	1013	1012	1337	4276	22598
24.	राजस्थान	2206	2555	1044	123	442	471	226	144	593	1453	5517	14774

25.	सिक्किम	50	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	410
26.	तमिलनाडु	3361	3385	1258	2248	2542	2726	2267	2538	3137	3644	2324	29430
27.	तेलंगाना	1924	2163	2398	1643	2104	652	210	417	546	725	3525	16307
28.	उत्तर प्रदेश	2063	3000	1451	510	1222	1670	320	4729	3418	3368	16914	38665
29.	उत्तराखंड	7114	7648	3183	2187	529	842	399	871	1116	1361	3929	29179
30.	पश्चिम बंगाल	1533	1097	1048	38	425	378	0	142	251	226	6804	11942
31.	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	121	151	0	0	0	272
32.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	67	216	431	714
	कुल	**88882**	**82122**	**38535**	**16651**	**28612**	**32458**	**12085**	**22034**	**21641**	**24153**	**89801**	**456974**

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय

*****